



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2693]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 2693]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ.3456(अ).— टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 के आदेश में निहित निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित दिशानिदेश बनाता है -

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ

(i) इन दिशानिदेशों को काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशानिदेश, 2016 कहा जाएगा।

(ii) ये दिशानिदेश समूचे भारत के लिए लागू होंगे।

(iii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने नियमों को इन दिशानिदेशों के अनुरूप बनाएंगे।

2. परिभाषा

(i) इन दिशानिदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'फर्नीचर इकाई' का अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी और परिसर सहित इसका अहाता है जिसमें या जिसके किसी भाग में राउन्ड लॉग, जिसे एक अनुज्ञा पत्र धारी काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई या अन्य वैध स्रोतों से आउट सोर्स किया गया हो, को छोड़कर चीरी हुई लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाइवुड अथवा किसी अन्य काष्ठ आधारित का प्रयोग करके काष्ठ आधारित तैयार उत्पादों का निर्माण किया जाता है और जो किसी बेंड साँ अथवा री-साँ अथवा 30 सेंटीमीटर से अधिक व्यास के सरकुलर साँ के बिना परिचालित होता हो।

- (ख) 'औद्योगिक संपदा' का अर्थ राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र है।
- (ग) 'अनुज्ञापत्र' का अर्थ इन दिशानिदेशों के अन्तर्गत प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र है।
- (घ) 'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' का अर्थ राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल का मुखिया) है और इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रैंक में कोई पद विद्यमान न हो, में विभागाध्यक्ष के रूप में पद नामित अधिकारी भी शामिल होगा।
- (ङ.) 'राउन्ड लॉग' का अर्थ प्राकृतिक स्वरूप में लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसकी छाल के नीचे 30 सेंटीमीटर अथवा इससे अधिक का मध्य घेरा हो और इसमें ऐसे राउन्ड लॉग को भी शामिल किया जाएगा जिसकी छाल को हटा दिया गया हो अथवा इसके पृष्ठ को इसके परिवहन और या भंडारण में सुविधा के लिए इसे वर्गाकार या वर्गाकार की तरह बनाने के लिए हाथ से या बैंडआरा का प्रयोग करके या किसी अन्य मशीन या उपकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
- (च) 'आरा मशीन' का अर्थ राउन्ड लॉग को चीरी हुई लकड़ी के आकारों में बदलने के लिए एक निश्चित संरचना अथवा अहाते में स्थित संयंत्र और मशीनरी है।
- (छ) 'चीरी हुई लकड़ी' का अर्थ शहतीर, कड़ी, पटरा, तब्ता और राउन्ड लॉग को चीरने से प्राप्त अन्य उत्पाद है।
- (ज) 'राज्य स्तरीय समिति' का अर्थ इन दिशानिदेशों के पैरा 3 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति है।
- (झ) 'काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए लकड़ी का निवल अन्तर-राज्य आयात' का अर्थ पिछले तीन कलेंडर वर्षों के दौरान राज्य में वास्तविक रूप में आयातित ऐसी लकड़ी की निवल मात्रा का तीन वर्षों का संचलन औसत है।
- (ञ) 'मुलम्मा मिल अथवा प्लाइवुड मिल' का अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी और परिसर है जिसमें अथवा जिसके किसी भाग में इलैक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल विद्युत की सहायता से अथवा हाथ से मैकेनिकल अथवा कैमिकल प्रक्रिया द्वारा लकड़ी/काष्ठ के परिरक्षण तथा उपचार सहित अपेक्षित आकार में बदलने, टुकड़े करने, छिलने, सजाने अथवा सुन्दर बनाने का कार्य किया जाता है।
- (ट) 'काष्ठ आधारित उद्योग' का अर्थ ऐसा उद्योग है जिसमें लकड़ी का प्रसंस्करण इसकी कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है (आरा मशीन/मुलम्मा/प्लाइवुड/लुग्दी अथवा चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि जैसा कोई अन्य स्वरूप)। इसमें मिल शामिल है किन्तु फर्नीचर इकाई शामिल नहीं है।
- (ठ) 'वर्ष' का अर्थ आने वाले वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से मार्च के 31 वें दिन के बीच का वित्तीय वर्ष है।
- (ii) इन दिशानिदेशों के अन्तर्गत प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए और भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा किसी राज्य में यथा प्रयोज्य संबद्ध स्थानीय वन अधिनियम, और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे अधिनियमों अथवा नियमों में उनके अर्थ के समान होगा।
- (iii) किसी शब्द की व्याख्या अथवा अभिव्यक्ति के संबंध में किसी विवाद के मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

3. राज्य स्तरीय समिति का गठन:

- (i) प्रत्येक राज्य इन दिशानिदेशों में अनुबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगा।
- (ii) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष	अध्यक्ष
ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
ग)	कार्य योजनाओं/कार्यस्कीमों को तैयार करने के लिए राज्य वन विभाग के एक प्रतिनिधि, जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो	सदस्य
घ)	उद्योग विभाग के निदेशक/अपर निदेशक	सदस्य
ङ.)	संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक स्वायत्तशासी जिला परिषद का प्रतिनिधि, यदि राज्य में ऐसी कोई परिषद विद्यमान है।	सदस्य

च)	वन विकास निगम का प्रतिनिधि, यदि राज्य में ऐसा निगम कार्यालय विद्यमान है।	सदस्य
छ)	एक अधिकारी जो वन मुख्यालयों में कार्यरत वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो	सदस्य सचिव

ज) राज्य स्तरीय समिति, वन विभाग के क्षेत्रीय स्कंध में कार्य कर रहे किसी भी अधिकारी को नामित कर सकती है, जो वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो।

(iii) ऐसे राज्य, जहां राज्य स्तरीय समिति का संघटन पहले ही गठित किया जा चुका है, और जो इन दिशानिर्देशों में यथा अनुबद्ध से भिन्न है, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन करेगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन, विद्यमान राज्य स्तरीय समिति के पुनर्गठन होने तक दिए गए सुझावों द्वारा अथवा लिए गए निर्णयों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

(iv) राज्य स्तरीय समिति कम से कम तीन महीनों में एक बार बैठक करेगी।

(v) राज्य स्तरीय समिति की बैठक में स्थायी सदस्यों की कम से कम पचास प्रतिशत की गण-पूर्ति होगी।

(vi) राज्य स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति की प्रत्येक और हर बैठक में आरा-मिल संघ द्वारा नामित उद्योग के एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करेगी।

4. राज्य स्तरीय समिति की शक्तियाँ और कार्य

राज्य स्तरीय समिति :

(i) हर पांच वर्षों में राज्य/संघ शासित प्रदेश के काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों हेतु इमारती लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करेगी।

(ii) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों हेतु भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता की मात्रा का आकलन करेगी, जिसे राज्य-संघ शासित प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों से सतत रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) राज्य में घरेलू मार्केटों में इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की वार्षिक आवश्यकता का आकलन करेगी।

(iv) प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थापना और प्रचालन हेतु अनुमत प्रत्येक काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई द्वारा प्रयुक्त इमारती लकड़ी और अन्य कच्ची सामग्री के डाटाबेस का रखरखाव करना।

(v) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त अवस्थानों को अनुमोदित करना।

(vi) काष्ठ आधारित उन औद्योगिक इकाइयों के नाम अनुमोदित करना जिनको नए अनुज्ञापत्र प्रदान करने अथवा जिनकी अनुज्ञापित क्षमता की अभिवृद्धि पर विचार किया जा सकता है यदि समिति इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि इमारती लकड़ी, उक्त नये काष्ठ आधारित उद्योगों (वन, वनों आदि के बाहर वृक्ष जैसे) के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है।

(vii) राज्य स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभागों के पास पड़ी (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) धनराशि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु ही किया जाएगा।

(viii) राज्य सरकार अथवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की जांच करना और समुचित सिफारिश करना।

5. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए इमारती लकड़ी की उपलब्धता का आकलन:

(i) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के काष्ठ आधारित उद्योगों की उपयोगिता हेतु उपलब्ध होने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा का आकलन पांच वर्ष में एक बार, अध्ययन शुरू होने पर मुख्य रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जाएगा। इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा:-

(क) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य-योजनाओं/कार्य स्कीमों/प्रबंधन स्कीमों के अनुसार वन क्षेत्रों से निरंतर प्राप्त होने वाली ऐसी कच्ची सामग्री की मात्रा।

- (ख) निजी वृक्षारोपण, कृषि वानिकी वृक्षारोपण और गैर-वन सरकारी भूमि इत्यादि पर किए गए वृक्षारोपण सहित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों से उपलब्ध ऐसी कच्ची सामग्री की मात्रा।
- (ग) ऐसी इमारती लकड़ी का कुल अंतर्राज्यीय आयात; और
- (घ) ऐसी इमारती लकड़ी का कुल अंतरराष्ट्रीय आयात।
6. काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा इमारती लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उपभोग: (i) आरा मिलों की इमारती लकड़ी की आवश्यकता का आकलन करने के उद्देश्य से उन्हें (क) 10 हार्स पावर तक की आरा मिलों (ख) 10 और 20 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों (ग) 20 से 40 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों (घ) 40 से 60 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों और (अं) 60 से अधिक हार्स पावर की आरा मिलों में बांटा जा सकता है।
- विभिन्न क्षमताओं के आरा मिलों के लिए गोल लट्टे की वार्षिक आवश्यकता तकनीकी आंकड़ों अथवा नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (क) 10 से हार्स पावर और उससे कम की आरा मिलें : 540 क्यूबिक मीटर (आधार मान)
- (ख) 10 से 20 हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : 810 क्यूबिक मीटर (1.5 गुना आधार मान)
- (ग) 20 से 40 की हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : 1080 क्यूबिक मीटर (आधार मान का 2 गुना)
- (घ) 40 से 60 की हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : (आधार मान का 3 गुना)
- (ङ) 60 से हार्स पावर से अधिक की आरा मिलें : (आधार मान का 4 गुना)
- (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (इपिरिटी), बंगलौर द्वारा किए गए आकलन के अनुसार विभिन्न इकाइयों के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यकता का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।
7. काष्ठ आधारित उद्योगों के स्थान निर्धारण पर प्रतिबंध
- (i) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में काष्ठ आधारित उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर स्थापित करने की अनुमति होगी।
- (ii) उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में निकटतम अधिसूचित वनों और संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से सामान्यतः 10 किलोमीटर आकाशीय दूरी के भीतर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। लिखित में दर्ज कारणों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर से कम आकाशीय दूरी पर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने/प्रचालित करने की अनुमति दे सकती है।
8. काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस की स्वीकृति, नवीनीकरण और प्रतिसंहरण:
- (i) राज्य स्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना काष्ठ आधारित किसी भी औद्योगिक इकाई के लाइसेंस को मंजूरी अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
- (ii) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी (मुख्य रूप से डीसीएफ/डीएफओ या समकक्ष) द्वारा दिए गए और उसके अनुसार लाइसेंस के सिवाय राज्य में काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना/प्रचालन नहीं किया जाएगा।
- (iii) राज्य स्तरीय समिति पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयातित इमारती लकड़ी पर कार्य करने वाले काष्ठ आधारित उद्योगों की एक अलग सूची बना सकती है। ऐसे उद्योगों को दिए गए लाइसेंस में विशेष रूप से यह शर्त होगी कि ऐसी इकाइयों को देश में उत्पादित इमारती लकड़ी के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। यदि भविष्य में उपर्युक्त इकाइयां भारी मात्रा में उपलब्धता के कारण देश में उत्पादित लकड़ी का उपयोग करना चाहती हैं तो ऐसा करने के लिए उन्हें एसएलसी से विशेष अनुमति लेनी होगी।

एसएलसी सुनिश्चित करेगा कि घरेलू उत्पाद का प्रयोग करते हुए इकाईयों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। समिति द्वारा उन इकाईयों को नए लाइसेंस दिए जा सकते हैं जो राज्य/संघशासित क्षेत्र में काष्ठ उपलब्धता आकलन के परिणाम का ध्यान किए बिना पूर्णतया आयातित परिष्कृत पदार्थ का प्रचालन करती हैं।

(iv) किसी काष्ठ आधारित उद्योग को मंजूर लाइसेंस के निगमन अथवा नवीकरण की तिथि से पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में किसी बात के शामिल होने के बावजूद भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी का, जहां यह विश्वास करने के कारण हों कि लाइसेंस धारक इन दिशानिर्देशों के उपबंधों अथवा लाइसेंस की शर्तों अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करके अथवा एक महीने का नोटिस देने के पश्चात् किसी समय वन संरक्षण के हित अथवा सार्वजनिक हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में लिप्त होकर काष्ठ आधारित उद्योग का प्रचालन कर रहा है तो ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग को एक महीने का नोटिस देकर उसका स्वीकृत लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

(v) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई को स्वीकृत लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन मान्य अवधि की समाप्ति के पूर्व कम से कम तीन (3) महीने पहले किया जाएगा।

(vi) बिक्री/सक्सेशन आदि संबंधी लाइसेंस का अंतरण राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

9. राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील

(i) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति 60 दिनों की अवधि के भीतर समुचित राहत की मांग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अपील कर सकता है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख अपील दर्ज करने के 60 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

(iii) यदि किसी कारणवश, कोई व्यक्ति अपील में पारित आदेशों द्वारा पीड़ित होता है, तो वह वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उचित याचिका/आवेदन/अपील कर सकता है।

10. फर्निचर इकाईयों के प्रचालन की शर्तें

(i) फर्निचर इकाई की स्थापना और प्रचालन को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) फर्निचर इकाई:

(क) तीस सेंटीमीटर डाईमीटर से अधिक वाले किसी बैंड आरा, अथवा रिप आरा अथवा सर्कुलर आरा का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) गोल लट्टों को बदला नहीं जाएगा।

(ग) लाइसेंस प्राप्त आरा मिलों अथवा किसी अन्य वैध स्रोत से प्राप्त आरा ईमारती लकड़ी का ही प्रयोग किया जाएगा।

(घ) यदि फर्निचर इकाई किसी काष्ठ आधारित उद्योग के परिसर में अवस्थित है तो फर्निचर इकाई के प्रचालन के लिए लाइसेंस तथा समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

(ङ.) बांस, नरकट और बेंतों का प्रयोग किया जा सकता है।

(च) ऐसे रिकाडों को बनाए रखा जा सकता है जैसा कि राज्य वन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11. काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा रिकाडों का रख-रखाव किया जाएगा।

(i) प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग, इन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद में यथा प्रदत्त रिकाडों का रख-रखाव करेगा और नियमित रूप से अद्यतन करेगा।

[फा. सं. 3-3/2015 - एसयू (वाल्सूम-II)]

डॉ. रेखा पै, वन महानिरीक्षक

1(ग)- आवती रजिस्टर -मुलम्मा

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र			एनई के बाहर/एनई के भीतर से लाया गया	क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया अथवा अन्यथा (विक्रेता द्वारा)	प्रकार	कब फलक/क्रोड	मापन				टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक					मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में प्रमात्रा	वर्गमीटर में राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1(घ)- आवती रजिस्टर -प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल, बोर्ड आदि

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र (यदि लागू हो तो) अथवा काटिंग चालान			एनई के बाहर/एनई के भीतर से लाया गया	क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया अथवा अन्यथा (विक्रेता द्वारा)	प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड की किस्म	मापन				टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	सं.	दिनांक				मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में प्रमात्रा	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र-II (समपरिवर्तन पंजिका)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित)

लकड़ी-आधारित इकाई का नाम

वन प्रभाग

रजिस्टर खोलने की तारीख:-----

II(क) - समपरिवर्तन रजिस्टर - छोटी इमारती लकड़ी

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		उत्पादित छोटी इमारती लकड़ी		टिप्पणियां
		लठ्ठों की सं.	आयतन सीयूएम	टुकड़ों की सं	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7

II(ख) - समपरिवर्तन रजिस्टर - मुलम्मा

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		प्रयुक्त छोटी इमारती लकड़ी (यदि कोई हो तो)		क्रा फलक/क्रोड	उत्पादित मुलम्मा				टिप्पणियां
		लट्टों की सं.	आयतन सीयूएम	दुकड़ों की सं	आयतन सीयूएम		मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II(ग) - समपरिवर्तन रजिस्टर - प्लाईवुड/ब्लॉकबोर्ड

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		प्रयुक्त छोटी इमारती लकड़ी (यदि कोई हो तो)		प्रयुक्त क्रोड मुलम्मा			प्रयुक्त फलक मुलम्मा			प्लाईवुड का उत्पादन				टिप्पणियां	
		लट्टों की सं.	आयतन सीयूएम	दुकड़ों की सं	आयतन सीयूएम	मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक क्षेत्र	आयतन (सीयूएम में)	मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक	आयतन (सीयूएम में)	श्रेणी	मोटाई	वर्ग मीटर में फलक	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)		आयतन (सीयूएम में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पण 1: प्रपत्र II (क) में प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी और उत्पादित कुल छोटी इमारती लकड़ी का प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए। प्रपत्र II (ख) प्रयुक्त इमारती लकड़ी, प्रकार वार और मोटाई वार उत्पादित क्रोड और फलक मुलम्मा के प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए। प्रपत्र II (ग) प्रयुक्त इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकड़ी, प्रकार वार और मोटाई वार प्रयुक्त क्रोड और फलक मुलम्मा तथा श्रेणी वार उत्पादित प्लाईवुड का प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए।

टिप्पण 2: इमारती लकड़ी छोटी इमारती लकड़ी और मुलम्मा के लिए छह प्रमुख वाणिज्यिक प्रकारों का अलग-अलग उल्लेख किया जाए। अन्यों को विविध श्रेणी के अंतर्गत सम्मिश्रित किया जाए। सही श्रेणीकरण का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाए।

टिप्पण 3: प्रपत्र II (ख) के कॉलम 8 में उत्पादित मुलम्मे की सही मोटाई दी जाए। कॉलम संख्या 10 में, राष्ट्रीय क्षेत्र का उल्लेख 4मि.मी. मोटाई के साथ परिकल्पित करने के बाद किया जाए।

टिप्पण 4: प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकड़ी की आंशिक रूप से प्रयुक्त इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकड़ी की वास्तविक प्रमात्रा का उल्लेख कॉलम 4 अथवा 6 (जैसा भी मामला हो), में किया जाए तथा इस संबंध में उपयुक्त प्रविष्टि अभ्युक्ति कॉलम में की जाए। प्रयुक्त इमारती लकड़ी के बचे हुए भाग का प्रयोग करते समय बाद में कॉलम 4/कॉलम 6 में अब प्रयुक्त वास्तविक प्रमात्रा का उल्लेख किया जाए। लॉग की संख्या/छोटी इमारती लकड़ी के दुकड़ों की संख्या के प्रति कोई तदनु रूप प्रविष्टि कॉलम 3/कॉलम 5 में न की जाए तथा उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रविष्टि अभ्युक्ति कॉलम में की जाए।

टिप्पणी 5: केवल विशिष्ट इकाई के लिए लागू प्रपत्र ही भरा जाए उदाहरणार्थ आरा मिल इकाइयों के लिए केवल II (क) भरना ही अपेक्षित है उनके लिए बाकि प्रपत्र भरना अपेक्षित नहीं है।

प्रपत्र-III (प्रेषण पंजिका)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित)

III (क): प्रेषण रजिस्टर - गोल इमारती लकड़ी

दिनांक	क्रेता का नाम और पता	प्रकार	दुकड़ों की सं.	लम्बाई	घेरा	आयतन (सीयूएम में)	कार्टिंग चालान		पारण पत्र			टिप्पणियां
							सं.	दिनांक	जारी करने वाला प्राधिकारी	सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III (ख): प्रेषण रजिस्टर - छोटी इमारती लकड़ी

दिनांक	क्रेता का नाम और पता	प्रकार	दुकड़ों की सं.	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	आयतन (सीयूएम में)	कार्टिंग चालान		पारण पत्र			टिप्पणियां
								संख्या	दिनांक	जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

III (ग): प्रेषण रजिस्टर - मुलम्मा

तारीख	खरीदार का नाम और पता	प्रकार	उत्पाद-शुल्क देय है/दिय नहीं है हां/नहीं	क्या फलक/अंतर्भाग	मोटाई	फलक क्षेत्र वर्ग मी. में	राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. की मोटाई सहित) वर्ग मी. में	आयतन घन मी. में	कार्टिंग चालान		पारगमन पत्र			अभ्युक्ति
									संख्या	तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी	संख्या	तारीख	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

III (घ): प्रेषण रजिस्टर - प्लाईवुड

तारीख	खरीदार का नाम और पता	प्लाईवुड का प्रकार	उत्पाद-शुल्क देय है/दिय नहीं है हां/नहीं	क्या फलक/अंतर्भाग	मोटाई	फलक क्षेत्र वर्ग मी. में	राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. की मोटाई सहित) वर्ग मी. में	आयतन घन मी. में	कार्टिंग चालान		पारगमन पत्र			अभ्युक्ति
									संख्या	तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी	संख्या	तारीख	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (ग) स्टॉक रजिस्टर - मुलम्मा

तारीख	प्रकार	ओपनिंग स्टॉक			दिन के दौरान प्राप्त (इकाई के बाहर से)			गोल/छोटी इमारती-लकड़ी से परिवर्तित			बेचा गया/वापस किया गया मुलम्मा (इकाई के बाहर भेजा गया)			प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त			क्लोजिंग स्टॉक			अभ्युक्ति
		मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

IV (घ) स्टॉक रजिस्टर - प्लाईवुड

तारीख	प्लाईवुड का प्रकार	ओपनिंग स्टॉक			दिन के दौरान प्राप्त (इकाई के बाहर से)			मुलम्मा, गोल/छोटी इमारती-लकड़ी से परिवर्तित			इकाई के बाहर बेचा गया/वापस किया गया/ भेजा गया प्लाईवुड			क्लोजिंग स्टॉक			अभ्युक्ति
		मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

टिप्पणी 1 : ओपनिंग स्टॉक, प्राप्तियों, चिराई, मुलम्मा/प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त इमारती-लकड़ी काटी गई इमारती-लकड़ी, मुलम्मा को इकाई से बाहर भेजने और क्लोजिंग स्टॉक का दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्रजाति-वार सार दर्ज किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : इमारती-लकड़ी, छोटी इमारती-लकड़ी और मुलम्मा की छः प्रमुख वाणिज्यिक किस्मों का पृथक रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य को विविध श्रेणी के अंतर्गत मिश्रित किया जा सकता है। सटीक वर्गीकरण का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी 3 : किसी विशेष इकाई के लिए लागू प्रपत्र ही केवल भरा जाएगा। उदाहरण के लिए, आरा मिल के लिए केवल IV (क) को ही भरना अपेक्षित है तथा IV (ख), IV (ग) और IV (घ) को भरना अपेक्षित नहीं है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3456(E).—In compliance of directions contained in the Order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is pleased to make the following guidelines, namely-

1. Short Title and commencement.

- (i) These guidelines shall be called the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016
 - (ii) These shall extend to whole of India.
 - (iii) These shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
- States/UTs shall conform their rules according to these guidelines.

2. Definition.

- (i) In these guidelines, unless the context otherwise requires –
 - (a) **'Furniture unit'** mean plants and machinery and the premises including the precincts thereof in which or in any part thereof wood based finished products are manufactured using sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood or any other wood based product, except a round log, outsourced from licensed wood based industrial units or other legitimate sources and operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter.
 - (b) **'Industrial Estate'** means areas notified by the State Government or Union territory Administration for establishment of wood based industrial units.
 - (c) **'License'** means a license granted under these guidelines.
 - (d) **'Principal Chief Conservator of Forests'** means the Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) in the State and it will also include an officer designated as Head of Department in State/UT where no post in the rank of Principal Chief Conservator of Forests exists.
 - (e) **'Round log'** means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it will include such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near to square for the purpose of ease in its transportation and or storage.
 - (f) **'Saw Mill'**, means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn sizes ;
 - (g) **'Sawn Timber'** means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log.
 - (h) **'State Level Committee'** means a Committee Constituted by the State Government under para 3 (2) of these guidelines.
 - (i) **'Net Inter-State Import of a timber for Wood Based Industries'** means three years moving average of the net quantity of such timber actually imported in the State during the latest three calendar years.
 - (j) **'Veneer Mill or Plywood Mill'** means plants and machinery and the premises in which or in any part thereof, conversion into required size, slicing, peeling, fashioning or seasoning of timber/ wood, including preservation and treatment thereof either by mechanical or chemical process with the aid of electrical or mechanical power or manually is carried out.
 - (k) **'Wood Based Industry'** means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood/pulp or any other form such as sandal, katha wood etc.). It includes a mill but does not include a furniture unit.
 - (l) **'Year'** means a financial year from 1st day of April to 31st day of March of the following year.
- (ii) Words and expressions used but not defined under these guidelines and defined in the Indian Forest Act, 1927 or the relevant local Forest Act as applicable in a State, and the rules framed thereunder shall have the meaning assigned to them in such Act or Rules.

(iii) In case of any dispute regarding interpretation of any word or expression, the decision of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be final.

3. Constitution of the State Level Committee:

(i) Each State shall constitute a State Level Committee to perform the functions stipulated in these guidelines.

(ii) The State Level Committee shall consist of the following:

a)	Principal Chief Conservator of Forests/Head of Forest Department	Chairperson
b)	A representative of the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member
c)	A representative of the State Forest Department not below the rank of a Conservator of Forests dealing with preparation of Working Plans/Working Schemes	Member
d)	Director/Additional Director of Department of Industries	Member
e)	Representative of the each Autonomous District Council constituted in accordance with the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution, in case any such Council exists in the State	Member
f)	Representative of the Forest Development Corporation, in case any such Corporation exists in the State.	Member
g)	An officer not below the rank of Conservator of Forests working in the Forest Head Quarters	Member Secretary

(h) The State Level Committee may nominate any other officer working in territorial wing of the Forest Department not below the rank of CF.

(iii) Such State where the composition of State Level Committee already constituted is different from as stipulated in these guideline, shall, within one year from the date of publication of these guidelines, re-constitute the State Level Committee. The reconstitution of the State Level Committee will be without any prejudice to the recommendations made or the decisions taken by the existing State Level Committee till its re-constitution.

(iv) The State Level Committee shall meet at least once in three months.

(v) The quorum of the State Level Committee meeting shall be at least fifty percent of permanent members.

(vi) SLC will invite one representative of the industry nominated by the saw-mill association as a special invitee to each and every meeting of the State Level Committee.

4. Powers and functions of the State Level Committee.

The State Level Committee shall:-

- (i) Assess the availability of timber for wood based industrial units in the State/UT every five years.
- (ii) Assess quantity of different raw material requirement for wood based industrial units which may be sustainably harvested from trees outside forest areas in the State/UT.
- (iii) Assess annual requirement of timber and other forest produce in the domestic markets in the State.
- (iv) Maintain a database of timber and other raw materials utilized by each wood based industrial unit permitted to establish and operate in the State/UT during each financial year.
- (v) Approve appropriate locations for setting up of wood based industrial units.
- (vi) Approve the name of wood based industrial units which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the committee is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc.).
- (vii) The State Level Committee will ensure that the amount lying with the respective State Forest Departments (recovered from Wood Based Industries) will be utilized for the purpose of afforestation only.
- (viii) Examine and make appropriate recommendations on any other matter referred by the State Government or the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

5. Assessment of the availability of timber for Wood Based Industrial Units:

(i) The quantity of timber likely to be available for utilization of Wood Based Industries of different types in a State/UT shall be assessed as by commissioning study, preferably in collaboration with institutes/ universities of repute, once in five years. The study will take into account the following:- :-

- (a) The quantity of such raw material that may be sustainably harvested from the forest areas as per the working plans/working schemes/ management plans duly approved by the competent authorities.
- (b) The quantity of such raw material that is available from the trees outside forest areas, including the private plantations, agro-forestry plantations and plantations raised on non-forest government lands *etc.*
- (c) Net inter-state import of such timber; and
- (d) Net international import of such timber.

6. Estimated annual consumption of timber by wood based industries. (i) For the purpose of assessing the timber requirement of the Saw mills, they may be divided into (a) Saw mills upto 10 HP (b) Saw mills between 10 and 20 HP (c) Saw mills between 20 HP to 40 HP (d) Saw mills between 40 to 60 HP and (e) Saw mills above 60 HP.

The annual requirement of round log for Saw mills of different capacities may be fixed by the committee based on the technical data or as per the formula given below

- (a) Saw mills of 10 HP and below: 540 cu.mt. (base value)
- (b) Saw mills between 10 to 20 HP: 810 cu.mt. (1.5 time the base value)
- (c) Saw mills between 20 to 40 HP 1080 cu.mt. (2 times of the base value)
- (d) Saw mills between 40 to 60 HP 1620 cu.mt. (3 times of the base value)
- (e) Saw mills above 60 HP 2160 cu.mt. (4 times the base value)

(ii) The Timber requirement for various units as assessed by Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore is given in **Annexure I**.

7. Restriction on location of wood based industries.

(i) In the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim the wood based industries shall be permitted to be established within the industrial estates.

(ii) In the States other than the afore-mentioned North Eastern States, wood based industries shall ordinarily be not allowed to be established within ten kilometers aerial distance from the boundary of nearest notified forests and protected areas. The State Level Committee for the reasons to be recorded in writing and after obtaining prior approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may permit to establish/operate a wood based industry at an aerial distance less than 10 kilometers from the boundary of a notified forest or a protected area.

8. Grant, renewal and revocation of a license to a wood based industry:

(i) No license to a wood based industrial unit shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the State Level Committee.

(ii) No wood based industrial unit shall be established/ operate in a State except under and in accordance with the license granted by an officer authorized by the State Government in this regard (Preferably DCF/DFO or equivalent).

(iii) The State Level Committee may maintain a separate list of wood based industries working solely on the timber imported from international market. The license to such industries shall specifically contain a condition to the effect that such units shall not be allowed to use timber produced in country. If in future, the said units want to use timber produced in the country on account of abundant availability they will seek specific permission from SLC to do so.

The SLC will ensure that the interests of the units using domestic produce are protected. Fresh licenses can be granted by the Committee for units which operate solely on imported raw material irrespective of the result of wood availability assessment in the State/UT.

(iv) The license granted to a wood based industry shall remain valid for five years, from the date of such issue or renewal of License. However, notwithstanding anything contained in these guidelines, the Licensing Authority may, where there are reasons to believe that the Licensee is operating the wood based industry in contravention of the provisions of these guidelines or conditions of License or any Rules framed by the State Government or is in activities prejudicial to the interest of forest conservation or public interest, at any time after giving one month notice, revoke the license granted to such wood based industry.

(v) Application for renewal of license granted to a wood based industrial unit shall be made atleast three (3) months before the expiry of validity period.

(vi) Transfer of license on sale/succession etc shall be done only with the approval of State Level Committee.

1(b)- RECEIPT REGISTER - SAWN TIMBER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Species	Measurement (of each piece (s))					Remarks
		Issuing Authority	No.	Date		No. of Pieces (if more than one piece is of same dimension)	Length	Width	Depth	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

1(c)- RECEIPT REGISTER - VENEER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Species	Whether Face/Core	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date					Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

1(d) - RECEIPT REGISTER - PLYWOOD, MDF, PARTICLE, BOARD etc

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass (if applicable) or carting Challan			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Type of plywood, MDF, Particle Board	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date				Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

PROFORMA -II (CONVERSION REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood -Based Unit

Forest Division

Register Opened on

II (a) - CONVERSION REGISTER-SAWN TIMBER

Date	Species	Round timber used		Sawn timber produced		Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs.	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

